न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./08/2022/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजाराम पुत्र भोपालाराम उर्फ नफाराम जाति माली निवासी साजीत तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर	राजस्थान सरकार जरिये 1. श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर 2. श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 65/2021 बअनवान राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—29.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,91 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। अपीलकर्ता/वादी की कदीमी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम साजीत, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में आयी हुई है। जिस पर अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त है। समरी बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि जैसलमेर रियासत के अधीन थी और जैसलमेर में स्थित तत्कालीन जागीरदार की जागीरी में थी। उक्त भूमि का सर्वप्रथम समरी बंदोबस्त संवत 2012 में राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था कि जो लोग अपनी भूमि पर काबिज काश्त थे उनका नाम समरी बंदोबस्त में उनके बताये अनुसार इन्द्राजात किये गये। अपीलकर्ता व उसके पूर्वज उक्त समरी बंदोबस्त पैमाईश समरी बंदोबस्त मौके पर नहीं होने से उनका नाम उक्त भींयासर मार्ग से उतर स्थित भूमि का इन्द्राज समरी बंदोबस्त के रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर किसी काश्तकार का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी काबिज काश्तकार को दी गई। अपीलांट/वादी स्वयं अपने कथनों में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वक्त समरी बंदोबस्त वह स्वयं या उनके पर्वज मौके पर उपस्थित नहीं होने से इंद्राज नहीं हो सका। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अपीलांट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब अपीलांट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वक्त सामरी बंदोबस्त एवं रथाई बंदोबस्त के अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं था। अपीलांट कथनों से ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि सामरी बंदोबस्त के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। रथाई बंदोबस्त में अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त नहीं था इसलिए खातेदारी में इन्द्राज नहीं किया गया। भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दावे को पोषणीयता के आधार पर खारिज किया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं विधिक विंदुओं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 65/2021 बअनवान राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर